न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार (आर.ए.एस)
मुकदमा संख्या :– 09 / 2015
जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2015 / 00109

प्रार्थी

वेलाराम पुत्र मलाराम, जाति–रेबारी,
निवासी–कांटोल, तहसील–सांचौर
जिला–जालोर, राजस्थान

अप्रार्थीगण

1 हरदान पुत्र खेदाराम, जाति–
मेघवाल, फौत के कायम मुकाम
ए–गणपतलाल पुत्र हरदान
बी–दिनेश कुमार पुत्र हरदान
सी–पोपटलाल पुत्र हरदान
जातियान मेघवाल, निवासीगण–कांटोल
2 तलसाराम पुत्र जुंजाराम फौत
के कायम मुकाम
ए–जोगाराम पुत्र तलसाराम
बी–वीराराम पुत्र तलसाराम
सी–नावी पत्नी तलसाराम
जातियान–रेबारी, निवासीगण–
कांटोल, तहसील–सांचौर,
3 दीपाराम पुत्र जुंजाराम फौत के कायम मुकाम
ए–कृष्णराम पुत्र दीपाराम
बी–जैसाराम पुत्र दीपाराम
सी–केसी पत्नी दीपाराम
जातियान–रेबारी, निवासीगण–कांटोल
4 भारथाराम पुत्र जुंजाराम
5 वसनाराम पुत्र नारणाराम
6 मेघाराम पुत्र नारणाराम
7 प्रेमाराम पुत्र नारणाराम
8 बोगी देवी पत्नी नारणाराम
जातियान–रेबारी, निवासीगण–कांटोल
9 केसाराम पुत्र भीमाराम, जाति–रेबारी, नि–कांटोल
10 तहसीलदार सांचौर
11 व्यवस्थापक, एस.बी.बी.जे बैंक शाखा पांचला
12 दीपाराम पुत्र हेमाराम
13 गेमाराम पुत्र सुरताराम
जातियान–रेबारी, निवासीगण–कांटोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक :– 20.08.2015

उपस्थितिः–

1. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पूनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थी सं 1 (ए.बी.सी.) की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश विश्नोई उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एकपक्षीय।
4. अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 8 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इब्राहिम शाह जुनेजा उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

5. अप्रार्थी संख्या 9, 12 व 13 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सदराम विश्नोई एवं श्री भगवती प्रसाद बालौत उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 01.08.2025

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ग्राम कांटोल पटवार हल्का नैनोल उपखण्ड क्षेत्र सांचोर में खेत खसरा नंबर 5 रकबा 2.58 हैक्टेयर का आया हुआ है जिसमें प्रार्थी की रहवासीय ढाणी आई हुई है प्रार्थी को उक्त खेत में आने जाने के लिये रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम कांटोल के खसरा नंबर 8 रकबा 3.33 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर, खसरा नंबर 9 रकबा 1.80 हैक्टेयर में से 0.07 हैक्टेयर, खसरा नंबर 11 रकबा 2.72 हैक्टेयर में से 0.03 हैक्टेयर भूमि चार मीटर के चौडे रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है उक्त रास्ता आने जाने के लिये आवागमन की सुविधा हेतु उपर्युक्त व सुविधाजनक रास्ता है चुंकि उक्त रास्ता कांटोल से मेडा जागीर जाने वाली ग्रेवल सडक को जोडता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी के खातेदारी व कब्जा काश्त के खेत में काश्त करने में आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नही है। उक्त स्थान की भूमि से प्रार्थी आवागमन करता है तथा राजस्व ट्रेस नक्शे में भी रास्तानुमा आकृति दर्ज है, लेकिन जमाबंदी में रास्ता दर्ज नही है जिससे अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा रास्ते हेतु आपसी सहमति से मामला नही बैठता है जिससे रास्ते की प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश है। प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 0.16 हैक्टेयर भूमि चार मीटर चौडे रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है जिसे संलग्न नक्शे में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी के उक्त आवेदित स्थान के रास्ते के अभाव में प्रार्थी के बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने–जाने, खेतों में व रहवासीय ढाणी में आने–जाने, काश्त के साधन आदि लाने ले जाने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जिससे रास्ते की सुविधा हेतु अत्यन्त आवश्यकता है तथा उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी नियमानुसार प्रतिकर शुल्क अदा करने को तैयार है। अतः उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि [illegible] हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.09.09 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया, अप्रार्थी तलसा, दीपा, भारथा, पिसरान जूजा, वसना, मेघा, प्रेमा पिसरान नारणा, बोगी पत्नी नारणा जातियान रेबारी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त ख.नं. खाता नंबर 104 के खसरा नंबर 2, 3, 4, 5, 5/531 का हिस्सा है। द्वितीय मिसल बंदोबस्त के अनुसार उक्त खाता प्रार्थी वेला, बादरा, हरकन, पिस. मला रेबारी का सामलाती था जिसका तीनों भाईयों ने बंटवाड़ा करवाया है, बंटवाड़े के अनुसार प्रार्थी के खेत खसरा

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

नंबर 5/592 से लगता हुआ है जिसमें से हरकन की ढाणी तक रास्ता जाता है तथा यही रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 5 से जाता है इस प्रकार वेला ने खेत खसरा नंबर 5/592 में से बादरा व हरकन को रास्ता दिया हुआ है तथा हरकन ने अपने खेत में से वेला को रास्ता दिया हुआ है जो मौके पर मौजूद है। वेला को खेत खसरा नंबर 5 में रास्ते की कोई आवश्यकता नही है। प्रार्थी ने गलत रूप से रास्ते की मांग की है, जो काबिल खारिज है अतः प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 5 में रास्ते की कोई आवश्यकता नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 हरदान ने अपने जवाब में बताया कि खसरा नं. 8, 9, 11 में से चार मीटर चौडा रास्ता चलता है जो मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी के आने जाने, उपयोग व उपभोग में आता है। खसरा नंबर 8 में से 0.06 हैक्टेयर भूमि चार मीटर चौडाई में मुझ अप्रार्थी के खातेदारी में से दिया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है। अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 8 में 0.06 हैक्टेयर भूमि चार मीटर चौड़ाई में प्रार्थना पत्र के संलग्न नक्शानुसार रास्ता दिया जाता है तो मुझे कोई आपति नही है।

अप्रार्थी संख्या 12 व 13 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी खेत में आने जाने हेतु खेत खसरा संख्या 8, 9, 11 में कोई रास्ता न तो था एवं न ही है, न ही उक्त खेतों में से प्रार्थी ने कभी आवागमन किया है तथा राजस्व रेकर्ड में भी कोई रास्ता नही है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों से विपरित है, क्योंकि किसी भी पक्षकार को उसकी इच्छा अनुसार रास्ता नहीं दिया जा सकता है। हम अप्रार्थीगण ने केसाराम से खेत खसरा सं. 11 रकबा 2.72 हैक्टेयर भूमि जरिये प्रतिफल 5 लाख से खरीद की हुई है जबकि उक्त प्रकरण में खेत खसरा संख्या 5 जो एक पूरा चक था जो पुराना खेत खसरा संख्या 2 से नवसृजित हुआ है। उक्त खसरा नंबर मला वल्द रावता के नाम से दर्ज था, जो प्रार्थी का पिता है। उक्त पुराना खेत खसरा संख्या 2 से नवीन खेत खसरा सं. 2, 3, 4, 5, 5/531 नवसृजित हुए। मला फौत होने पर उनके पुत्रगण बादरा, वेला, हरकन के नाम खातेदारी दर्ज हुई जो नामान्तरकरण संख्या 55 से स्पष्ट है। प्रार्थी एवं उनके भाईयों ने आपसी बंटवाड़ा करवाया जो प्रार्थी वेलाराम आपसी सहमति से बंटवारे के वक्त अपने भाईयों से उनके सुविधानुसार रास्ते की भूमि तरमीम करवा सकता था जबकि वेलाराम ने अपने भाई बंट अनुसार बंटवाड़ा किया जिसके अनुसार प्रार्थी के बं[illegible] खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 5 [illegible] में आई। इस प्रकार प्रार्थी वेलाराम के खेत खसरा संख्या 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर राजस्व रेकर्ड अनुसार कटाण रास्ते के सेढा सेढ है। इस प्रकार प्रार्थी वेलाराम के उक्त [illegible] में आवागमन हेतु पूर्व से ही रास्ता है तथा उसी रास्ते से आवागमन करता है। अप्रार्थीगण को परेशान करने की नियत से धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट. का मनगंढत प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी के बंट में खसरा संख्या 592/5 जो कटाण रास्ते के सेढा सेढ है तथा खेत खसरा संख्या 5 व 592/5 उक्त दोनों खेत खसरा संख्या के बीच खसरा संख्या 593/5 रकबा 1.45

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2025.09.09 15:24:23 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

हैक्टेयर आता है जो प्रार्थी के सगे भाई हरकन के खातेदारी का है जो मूल खसरा संख्या 5 से ही तरमीम हुआ है। इस प्रकार खेत खसरा संख्या 593/5 में से प्रार्थी के आने–जाने हेतु नजदीक एवं सुविधाजनक रास्ता है जो पूर्व में पेश नक्शा प्रदर्श 'ब' अनुसार स्पष्ट है। उक्त प्रकरण में हरकन पुत्र मला जो एक आवश्यक पक्षकार है। प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है तथा प्रार्थी वेलाराम ने माननीय न्यायालय में एक प्रकरण संख्या 06/2015 दीपा बनाम वेलाराम वगैरह में धारा 151 सी.पी.सी बाबत् रास्ता आवेदन कानूनी पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाने का पेश कर निवेदन भी किया है कि प्रार्थी दीपाराम खेत खसरा संख्या 8, 9, 11 में संलग्न नक्शानुसार आवागमन करते है। इस प्रकार प्रकरण संख्या 06/2015 खारिज फरमावें। माननीय न्यायालय ने खेत खसरा संख्या 8, 9, 11 में रास्ता होना नहीं बताया तथा प्रार्थी वेलाराम का धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जिसकी निगरानी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की, जो निगरानी सं. टी.ए. 6830/2016 वेलाराम बनाम दीपाराम वगैरह में दिनांक 30.05.2017 को निगरानी खारिज की तथा खसरा नंबर 8,9,11 में किसी प्रकार का रास्ता होना नहीं मानते हुए प्रकरण संख्या 06/2015 में आदेश दिनांक 22.09.2016 को यथावत रखा। इस प्रकार पूर्व में पेश की गई मौका रिपोर्ट हमें बिना सूचित किये एक पक्षीय मौका रिपोर्ट तैयार कर पेश की है उक्त मौका रिपोर्ट अपठनीय है। प्रार्थी वेलाराम के उपरोक्तानुसार आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी द्वारा पेश धारा 251 'ए' आर.टी.एक्ट. का प्रार्थना–पत्र आधारहीन व मनगंढत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया प्रार्थी के खेत खसरा नंबर 5 में आने जाने हेतु खसरा नं. 8, 9, 11 में से रास्ता चलता है इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भुमि में से 0.16 हैक्टेयर जमीन चार मीटर चौड़े रास्ते की संलग्न नक्शें में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है उस अनुसार राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करवाने का आदेश फरमावे।

अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस कर निवेदन किया खेत खसरा संख्या 8, 9, 11 में कोई रास्ता न तो था व न ही है, क्योंकि खेत खसरा संख्या 5 पुराना खसरा संख्या 2 से नवसृजित हुआ है जो प्रार्थी के पिता मला के नाम से दर्ज था, मला के फौत [illegible] उनके पुत्रगण के नाम दर्ज हुआ। उक्त पुराना खसरा नंबर 2 व उससे नवसृजित [illegible] नंबर 5 कटाण रास्ते के सेढ़ा सेढ़ खेत आया हुआ है, जो नक्शे से स्पष्ट है तथा प्रार्थी अपने बंटवाड़े के जरिये उक्त खसरा नंबर में से रास्ते की मांग कर सकता था जबकि प्रार्थी वेलाराम के बंट में खेत खसरा संख्या 592/5 कटान रास्तें के सेढ़ा सेढ़ है तथा खसरा संख्या 5 व 592/5 के बीच में खसरा संख्या 593/5 आता है जो प्रार्थी के सगे भाई हरकन के नाम दर्ज है, इस प्रकार खेत खसरा संख्या 593/5 में से प्रार्थी के आने जाने हेतु नजदीकी एवं सुविधाजनक रास्ता है तथा प्रार्थी वेलाराम ने प्रकरण संख्या 06/2015 दीपाराम बनाम वेलाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Ku
Date: 2025.09.09 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

वगैरह में धारा 151 सी.पी.सी का प्रार्थना पत्र पेश कर बताया था कि खसरा नं. 8, 9, 11 में रास्ता मौजूद है, जबकि माननीय न्यायालय नें प्रकरण संख्या 06/2015 में खेत खसरा संख्या 8, 9, 11 में रास्ता होना नहीं बताया गया है तथा प्रार्थी ने उक्त आदेश की निगरानी माननीय राजस्व मंडल अजमेर में पेश की तथा प्रार्थी वेलाराम की निगरानी खारिज हुई व माननीय राजस्व मंडल अजमेर ने भी खेत खसरा सं. 8, 9, 11 में रास्ता होना नहीं मानते हुए प्रकरण संख्या 06/2015 दीपा बनाम वेलाराम में पारित आदेश दिनांक 22.09.2016 को यथावत रखा। इस प्रकार प्रार्थी वेलाराम के खेत में आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 हरदान ने दुरभिसंधी कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात् का अध्ययन एवं अवलोकन कर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'क' में निम्नलिखित कानूनी प्रावधान है :–

251'क' :– अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना या नया मार्ग खोलना विद्यमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाईप लाईन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति , उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि:–

(i) यह आवश्यकता अत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुंच के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod K
Date: 2025.09.09 15:24:23 I
Reason: SelfAttested

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है द्वारा सीमाकिंत या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फीट नी पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है दर्शाया जाये, भूमि में से होकर यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो 30 फीट से अनाधिक तक विस्तारित चौड़ा करने के लिये, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है जिसमें से होकर पाईप लाईन

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

बिछाने का नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाये पर जो विहित रिती से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाऐगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3) वे व्यक्ति जिनको उपधारा (1)में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता इसी दशा में स्वीकृत किया जायेगा जब खातेदार को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है तथा साथ ही वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो, तब नया मार्ग स्वीकृत किया जायेगा।

नायब तहसीलदार सांचोर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 22.08.2015 व दिनांक 23.06.2016 में खसरा नंबर 8, 9, 11 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा पेश दस्तावेजों का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार ग्राम कांटोल के पुराना खसरा नंबर 2 रकबा 79 बीघा 11 बिस्वा भूमि मला वल्द रावता जाति रेबारी सा. देह खातेदार दर्ज है जो पुरानी मिसल बंदोबस्त संवत् 2012 से 2031 से स्पष्ट है। इसी प्रकार नामान्तरकरण संख्या 55 अनुसार मला फौत होने पर बादरा ,वेला ,हरकन पि. मला के नाम उक्त आराजी दर्ज हुई। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार पुराना खसरा संख्या 2 से नवीन खसरा संख्या 2, 3, 4, 5, 5/531 सृजित हुए।

इस प्रकार पुराने खसरा नंबर 2 व मूल नवीन खसरा संख्या 5 रकबा 12. 75 हैक्टेयर के पुराने नक्शा व नवीन नक्शा का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि पुराना खसरा नंबर 2 की आराजी कटान रास्तें के सेढा सेढ व पुराना खसरा नंबर 2 से नवीन खसरा संख्या 5 के नवीन नक्शे से भी स्पष्ट है कि खसरा नंबर 5 की आराजी भी कटाण रास्ते के सेढ़ा सेढ़ है जो पूर्व में प्रार्थी के पिता मला की आराजी थी तथा [illegible] वेला व उनके भाई बादरा व हरकन के नाम उक्त आराजी दर्ज की गई।

जमाबंदी संवत् 2056 से 2059 के अनुसार [illegible] आपसी बंटवाडा किया जिसके अनुसार वेला के बंट में खसरा नंबर 5 रकबा 2.58 हैक्टेयर व 592/5 रकबा 1.72 हैक्टेयर, हरकन के बंट में खसरा नं. 588/5 रकबा 2.73 हैक्टेयर, 593/5 रकबा 1.45 हैक्टेयर व अन्य खसरा नंबर तथा बादरा के बंट में 587/5 रकबा 4.27 हैक्टेयर व 5/531 रकबा 0.01 हैक्टेयर उनके खातें में दर्ज किये गये इस प्रकार बंटवाडे के बाद नवीन नक्शें के अनुसार खसरा नं. 592/5 जो कटाण रास्तें के सेढ़ा सेढ़ है तथा प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kum
Date: 2025.09.09 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर (जालोर)

वेला के नाम दर्ज है। खसरा नं. 5 हेतु प्रार्थी ने रास्तें की मांग की है जबकि खसरा नं. 592/5 व खसरा नंबर 5 के बीच खसरा संख्या 593/5 दर्शित है जो प्रार्थी वेला के भाई हरकन की आराजी है, इस प्रकार उक्त नये खसरा नंबर पुराने खसरा नंबर 2 व मूल नवीन खसरा नंबर 5 का भू–भाग है जो एक चक में होने व कटाण रास्ते के सेढा सेढ आया हुआ है। ऐसी स्थिति में वेला, हरकन व बादरा के बीच आपसी बंटवारे में अपने भाई हरकन से खेत खसरा संख्या 593/5 की आराजी में से रास्ते की मांग कर सकता था, क्योंकि प्रार्थी वेला की खातेदारी खेत खसरा संख्या 5 में आवागमन हेतु उपरोक्तानुसार अपने भाई हरकन के खेत खसरा संख्या 593/5 की आराजी में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। खसरा संख्या 592/5 से होकर खसरा संख्या 5 हेतु निकटतम दूरी पर रास्ता स्थित है, परन्तु खसरा संख्या 593/5 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 'ए' में यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु दूरस्थ स्थान से मार्ग स्वीकृत नही किया जा सकता है। इस प्रकार रास्तें की आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होकर केवल सुविधा हेतु दूरूस्थ मार्ग चाहा गया है अतएवः प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता साबित नहीं होने, पूर्व से वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता होने तथा निकटतम मार्ग हेतु खसरा संख्या 593/5 के खातेदार को पक्षकार संयोजित नहीं करने से प्रार्थी वेलाराम के उक्त राजस्व प्रार्थना–पत्र को भली भॉति साबित करने में सफल नहीं होने से अस्वीकार किया जाना पूर्णतः विधिसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी सांचौर

निर्णय आज दिनांक **01.08.2025** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.09.09 15:24:23 IST
Reason: SelfAttested